वित्त मंत्रालय

डीआरआई और भारतीय तटरक्षक बल ने बीच समुद्र में अभियान चलाकर मालदीव जा रहे एक जहाज को रोका; 33 करोड़ रुपये मूल्य का 30 किलोग्राम चरस का तेल जब्त किया; तीन गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 09 MAR 2025 2:45PM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के साथ एक संयुक्त अभियान में 7 मार्च 2025 को मालदीव की ओर जाने वाले एक टग-बार्ज जहाज से 33 करोड़ रुपये मूल्य का 29.954 किलोग्राम चरस का तेल जब्त किया ।

डीआरआई अधिकारियों ने विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर तूतीकोरिन के पुराने बंदरगाह से रवाना हुए एक जहाज को पत्थरों से लदे एक जहाज को खींचते हुए देखा। पता चला कि तूतीकोरिन में स्थित एक गिरोह ने जहाज के चालक दल के एक सदस्य की सहायता से मालदीव की यात्रा के दौरान बीच समुद्र में ही भारी मात्रा में चरस के तेल को जहाज पर लाद दिया था।

डीआरआई के आदेश पर, भारतीय तटरक्षक बल ने 5 मार्च, 2025 को कन्याकुमारी तट के पास समुद्र में जहाज को रोक लिया और 7 मार्च, 2025 तक उसे तूतीकोरिन न्यू पोर्ट पर वापस ले आया।

इस बीच, जहाज पर मादक पदार्थ रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, गिरोह के साथ जहाज के स्थान के बारे में जानकारी साझा करने में शामिल चालक दल के सदस्य को भी जहाज के बंदरगाह पर आने के बाद आगे की जांच के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

जहाज की तलाशी लेने पर दो बैग बरामद हुए जिनमें 29 प्लास्टिक के पैकेट थे जिन पर खाद्य पदार्थों का विवरण छपा हुआ था। पैकेटों की जांच की गई और पाया गया कि उनमें 'काले रंग का तरल पेस्ट जैसा पदार्थ' था जिसे फील्ड टेस्ट किट से जांचने पर 'चरस का तेल' पाया गया।

कुल मिलाकर 29 पैकेट में 29.954 किलोग्राम चरस का तेल बरामद किया गया जिसकी कीमत अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार में 32.94 करोड़ रुपये है इसे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 08.03.2025 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

***

एमजी/केसी/पीपी/आर

(रिलीज़ आईडी: 2109628) आगंतुक पटल : 244

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Tamil , English , Urdu , Marathi , Bengali , Malayalam